# एक राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कब कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लेखक - अपूर्वा विश्वनाथ (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

28 जुलाई, 2020

**एक बार फिर से राज्यपाल की भूमिका सुर्खियों में आ गयी है और इस बार राजस्थान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इस आलेख में हम जानेंगे कि राज्यपाल सदन को कब बुला सकता है? राज्यपाल के कार्यालय में निहित शक्तियाँ क्या हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कहा है?**

बीते दिनों राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिये गये प्रस्ताव को लौटाया है, जिसमें 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गयी थी, जिसके कारण राज्यपाल की शक्तियों पर फिर से नए कानूनी सवाल उठाए जाने लगे हैं। यह दूसरी बार है जब राज्यपाल ने अनुरोध को रद्द कर दिया है, जिसके कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगी। 2016 में, एक अलग मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सदन को भंग करने की राज्यपाल की शक्तियों के मुद्दे पर सुनवाई की थी।

**सदन को बुलाने की शक्तियां किसके पास हैं?**

यह शक्ति कैबिनेट की सहायता और सलाह पर काम करने वाले राज्यपाल के पास है। संविधान का अनुच्छेद 174 के अनुसार "राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा।"

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार,राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद् एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद् के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।

**सदन को बुलाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में क्या कहा है?**

ऐसा कानून है कि राज्यपाल विधायी उद्देश्यों के लिए या मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए सदन में बैठक करने के लिए कैबिनेट के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है। वास्तव में, 2016 के उत्तराखंड मामले सहित कई मौकों पर, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सत्ता पक्ष के बहुमत पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हों, तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए।

2016 में, नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास निहित नहीं है।

**अरुणाचल मामले में SC ने क्या कहा?**

वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिये। अपनी कार्रवाई के लिये राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिये और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिये।

फैसले के पैराग्राफ 162 में, अदालत ने उस प्रारूप 153 (जो बाद में अनुच्छेद 174 बन गया) पर चर्चा की, जो कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है,यह इंगित करने के लिए पर्याप्त रूप से बदल दिया गया था कि संविधान के निर्माता राज्यपालों को विवेक नहीं देना चाहते थे।

प्रारूप 153 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उप-लेख (3) में व्यक्त की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उप-खंड (ए) और (सी) के संदर्भ में राज्यपाल के कार्य, अर्थात् सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को भंग करने की शक्ति''... उनके विवेक से उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा,'' अदालत ने उल्लेख किया।

"जिस तरीके से अनुच्छेद 153 (3) का मसौदा तैयार किया गया था, उसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची थी कि राज्यपाल निश्चित रूप से बिना किसी सहायता या सलाह के सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को बुलाने या भंग करने का विवेक रखते हैं।

वाद-विवाद के बाद, अनुच्छेद 153 के मसौदे को अनुच्छेद 174 के रूप में पुनः लागू किया गया। अनुच्छेद 174 से पता चलता है कि अनुच्छेद 153 में शामिल उप-लेख (3) को छोड़ दिया गया है। मसौदा अनुच्छेद 153 के उप-लेख (3) को छोड़ देना, चरम महत्व का विषय है। इसके अलावा, वर्ष 2006 के रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार मामले में दिये गए निर्णय में पाँच सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो।

**एक राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कब कर सकता है?**

जब मुख्यमंत्री सदन का समर्थन खो चुके हैं और उनके बहुमत पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, तो राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए मंत्रिपरिषद् की सलाह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर,जब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष और राज्यपाल एक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। राजस्थान के मामले में, मुख्यमंत्री गहलोत के अनुरोध ों के बावजूद,एक हैरान करने वाली स्थिति में,राज्यपाल ने सत्र बुलाने के अनुरोधों को वापस कर दिया है।

हालाँकि, मौजूदा मामले में, 19 बागी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से, जो अभी बाहर नहीं हुए हैं, और राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने बार-बार कहा है कि वे केवल पार्टी के भीतर अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं, भाजपा में शामिल होने का उनका कोई विचार नहीं हैं।

2016 में अरुणाचल प्रदेश के मामले में न्यायालय का फैसला इस प्रश्न को स्पष्ट करता है। "सामान्य परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् के पास सदन में बहुमत होता है, तो राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत निहित शक्ति, यानी सदन को भंग करने, का उपयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् की सहायता एवं सलाह से करना चाहिए। उपरोक्त स्थिति में, वह अपनी इच्छा से, या अपने विवेक से फैसला नहीं ले सकते हैं। हालाँकि, जब ऐसी स्थिति हो जब सत्ता में सरकार फ्लोर टेस्ट के बाद बहुमत खो चुकी हो, तो राज्यपाल अपने साथ अनुच्छेद 174 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग बिना किसी सहायता और सलाह के कर सकता है" अदालत ने कहा।

## संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

**प्र.** राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धत्ति द्वारा होता है ।
2. अनुच्छेद- 174 के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है।
3. राज्यपाल की नियुक्ति के समय उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है ।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1

(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

## Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Governor: -

1. Like the President, the election of the Governor is also done indirectly by a single transitive method of proportional representation.
2. According to Article 174, the Governor can summon or prorogue and dissolve the session of the House of Representatives of the State Legislature.
3. At the time of appointment of the Governor, it is mandatory to be a member of the Legislature of the concerned state.

Which of the above statements is/are Correct?

(a) 2 only (b) 1 only

(c) 2 and 3 (d) All of the above

## संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

**प्र. "राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करके राज्य सरकार को अस्थाई बनाने का प्रयास करता है, जिससे कई बार वह विपक्षी दल के नेता के रूप में नजर आने लगता है।" इस कथन के आलोक में अपने विचार तर्क पूर्वक प्रस्तुत कीजिये।**

**Q. "The governor tries to make the state government temporary by acting as an agent of the central government, which often makes him appear as the leader of the opposition party." In the light of this statement, present your thoughts rationally.**